तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहक हुक्म में
27/02/24	पत्रावली पेश। आदेशिका दिनांक 12/07/21 के अनुसार "There is no contact with resp. since last 2 yrs. Hence, no instruction pleaded" की टिप्पणी अभि: अप्रार्थीगण द्वारा की गई है। विगत 3 वर्षों में अप्रार्थी सं. 03 ता 09 की ओर से अन्य वकालतनामा अथवा स्वयं की उप: नहीं हुई है, अतः अप्रार्थी सं. 03 ता 09 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी सं. 01 व 02 की ओर से वर्ष 2009 में VI के बावजूद आज दिनांक तक वकालतनामा पेश नहीं, अतः अप्रार्थी सं. 01 व 02 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। ~~अप्रार्थी~~ अप्रार्थी सं. 10 के विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा है, अतः जवाब की आवश्यकता नहीं है। अप्रार्थीगण की ओर से पूर्व में जवाब पेश है। अभि: प्रार्थी की बहस सुनी गई। मुताबिक बहस अभि. प्रार्थी - "ख. सं. 681, 682, 683 की भूमि के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार हैं। इस भूमि पर प्रार्थीगण अन्य सहखातेदारों के साथ संयुक्त रूप से काबिज हैं। उक्त खसरों का विधिक विभाजन नहीं हुआ है। ख. सं. 682 में प्रार्थीगण की रहवासीय ढाणी बनी हुई है। अप्रार्थी सं. 02 ख. सं. 681, 682 की भूमि से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने पर उतारू है। अप्रार्थी सं. 01 ता 09 प्रार्थीगण के ख. सं. 681, 682 से रास्ता निकालना चाहते हैं। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया	

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

जावे कि वे ख. सं. 681 (30 बीघा, 19 बिस्वा), ख. सं. 682 (32 बीघा 11 बिस्वा) पर अतिक्रमण नहीं करें।"

मुताबिक जवाब अप्रार्थी- "प्रार्थीगण द्वारा झूठे तथ्य पेश किये गये हैं। ख. सं. 666 में से मौके पर चल रहा रास्ता, प्रशासन आपके द्वार, camp में खुलवाया गया। (दिनांक 07/03/06) प्रार्थीगण द्वारा पुनः यह रास्ता June 2006 में बंद कर दिया गया। पुनः तहसीलदार, ओधपुर द्वारा खुलवाया गया। यह विवाद मुंसिफ न्यायालय, ओधपुर एवं जिलाधीश ओधपुर के समक्ष लंबित है। अतः इस न्यायालय में यह वाद नहीं चल सकता। प्रार्थीगण द्वारा ख. सं. 682 में ढाणी बताया जाना गलत है। ख. सं. 681, 682 में चल रहा कदीमी रास्ता रोकने का अधिकार प्रार्थीगण को नहीं है। ख. सं. 666 से 682 तक नया रास्ता नहीं खोला गया है, बल्कि पुराना कदीमी रास्ता खुलवाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। प्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि वे कदीमी रास्ते को बंद ना करें।"

आदेशिका दिनांक 08/04/08 के अनुसार मौका कमिश्नर Report प्राप्त, मौका रिपोर्ट अनुसार दोनों पक्षकार मौके की यथास्थिति बनाए रखें। मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट रास्ता ख. सं. 735, 737, 812 में से चल रहा है, ख. सं. 681, 682 में से रास्ता चलना नहीं पाया गया है। रिपोर्ट में उल्लेखित है "ख. सं. 681, 682 में से आज दिनांक को रास्ता चलना नहीं पाया गया।" उक्त Report में केवल दिनांक 03/04/08 की मौका स्थिति का

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अहलकार
हुक्म
में ज

वर्णन है। मूलवाद में संलग्न परिशिष्ठ 'क' के अनुसार ख॰ सं॰ 682, 682/1, में से रास्ता चल रहा है। कदीमी रास्ते के संबंध में किसी प्रकार की रिपोर्ट संलग्न नहीं है। जमाबंदी अनुसार ख॰ सं॰ 681 (30 बीघा 19 बिस्वा), 683 (32 बीघा 11 बिस्वा) गोकलराम, पुरबराज पि॰ खींयाराम के नाम दर्ज है। ख॰ सं॰ 682 (30 बीघा) का 1/2 हि॰ गोकलराम, पुरबराज पि॰ खींयाराम एवं 1/2 हि॰ विरमराम पि॰ पुनमराम के नाम दर्ज है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने कथन "ख॰ सं॰ 666 से 682 तक कदीमी रास्ता चल रहा है" के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है।

प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है। अतः प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनों को पाबंद किया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से बिना विच्छिक प्रक्रिया अपनाए खातेदारी भूमि का गैं॰ मु॰ प्रयोग नहीं किया जावे। आदेश खुले में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Parihar

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (FT), जोधपुर